

LOK SABHA

Tuesday, December 17, 1968/Agrahayana 26,
1890 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Implementation of the recommendations of the
Sarkar Committee Report

- +
* 781. SHRI KAMESHWAR SINGH:
SHRI SHIV CHARAN LAL:
SHRI ERASMO DE SEQUEIRA:
SHRI GHAYOOR ALI KHAN:
SHRI KEDAR PASWAN:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 393 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) whether a senior Officer has since been appointed to take action against Shri A. S. Bam, former Iron and Steel Controller and other Officers as recommended by the Sarkar Committee;

(b) if so, the progress made so far; and

(c) if not, the reasons for delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c). Yes, Sir. A senior officer has been appointed to process the cases relating to disciplinary proceedings against the concerned officials, in accordance with the relevant rules and regulations. Charge sheets have been issued after consultation with the Central Vigilance Commission, wherever necessary, in five cases and will be issued shortly in two more cases. In one case the statement of defence has also been received and is under examination. In the other two cases, the advice of the Central Vigilance Commission is awaited.

श्री कामेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने श्री बाम के ऊपर एक्शन तो लिया लेकिन बहुत देर से लिया। 1967 के बजट सत्र में मैंने इस के बारे में कहा था, लेकिन श्री चन्ना रेड्डी ने, जो उस समय मिनिस्टर थे, उनको बचाने की कोशिश की। लेकिन एक सब से बड़ी दुखद बात इस केस में यह है कि श्री के० सेन्तियाप्पन्, जो उस समय डिप्टी आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर थे, ने जब इस केस को प्वाइन्ट-आऊट करना शुरू किया तो उस दफ्तर के अधिकारियों ने और उनके खेरखाह लोगों ने इनको हैरेस और विक्टिमाइज़ करना शुरू किया। सेन्तियाप्पन् साहब ईमानदार अफसर थे, इस वजह से श्रीमन् चन्द प्यारे लाल के कहने पर वहाँ के अफसरों ने जिनमें आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर भी शामिल हैं, उनको हैरेस किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सेन्तियाप्पन् साहब को रिटायर होना पड़ा और आज वह भावमी पड़ा हुआ सड़ रहा है, जब कि बाम साहब पर अब एक्शन शुरू हुआ है।

बाम साहब पर तो आपने अब एक्शन लिया—लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीमन् चन्द प्यारे लाल की जितनी कम्पनियाँ हैं, उनको ब्लैक-लिस्ट किया गया या नहीं? यदि सरकार कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी उनको ब्लैक-लिस्ट नहीं किया गया, तो उसका क्या कारण है तथा कितनी कम्पनियों को स्टील के कोटे और दूसरे फायदे पहुंचाये गये हैं?

श्री प्र० च० सेठी : जहाँ तक उनकी पाँच-छः कम्पनियों का तात्लुक है—श्रीमन् चन्द प्यारे लाल, सुरेन्द्र भोवराठीच, जे० एच० कोहन,

ए० पी० जे०, रामकृष्ण कुलवन्त राय, खेमचन्द राजकुमार—इन तमाम कम्पनियों को सरकार कमेटी की रिपोर्ट आने के पूर्व ही ता० 7-5-1966 को बैन कर दिया गया था। इन कम्पनियों को तब से तीन साल के लिये बैन किया गया है। इन में से कुछ कम्पनियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील दायर की है। जहां तक श्री बाम का ताल्लुक है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथा कैबिनेट द्वारा ता० 10-5-1968 को एप्रूव होने के बाद उन को चार्जशीट देने में देरी नहीं की गई, तुरन्त केस को प्रोसेस कर के चार्जशीट दे दी गई।

श्री कामेश्वर सिंह: अभी मंत्री महोदय ने बताया कि उन में से कुछ कम्पनियां कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील में गई हैं—मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन के अपील में जाने के बाद भी कोई लाइसेन्स उन कम्पनियों को दिया गया है? यदि दिया गया है तो उसका क्या कारण है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इन्हीं की एक कम्पनी—जे० एस० कोहन एण्ड कम्पनी—के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री प्र० चं० सेठी: जे० एस० कोहन एण्ड कम्पनी को भी बैन किया गया है। जिन कम्पनियों को बैन किया जाता है, अगर उनकी इण्डस्ट्री है तो उसको रा-मैटीरियल की सप्लाई बन्द नहीं की जाती है, लेकिन सरकार उनसे खरीदो-फारोख्त का सारा काम बन्द कर देती है।

SHRI UMANATH: The Sarkar Committee makes an important revelation. In a letter addressed by Messrs. Amin Chand Pyare Lal to the Steel Controller, they say:

"We understand from reliable sources that you intend supplying steel ingots to some European countries, especially to Western Germany in order to have steel pipes manufactured therefrom for supply to India. We are very much interested in the proposition and would like to actively participate in the same."

It reveals that Messrs. Amin Chand Pyare Lal had reliable source of information about the Steel policy. When the barter deal was being formulated by the Government, when it was pending before the Finance Ministry for approval, they have come to know of it. So, I would like to know from the hon. Minister: (a) whether any serious investigation had been undertaken to find out what this reliable source is, as mentioned by Messrs Amin-Chand Pyare Lal; (b) whether Mr. Swaran Singh and others who were in charge of the Ministry at that time were themselves the source of such reliable information; and (c) whether no action has been proposed to be taken against Mr. Bhoothalingam for fear that if action is taken against him, very many things would be revealed here, and that it might expose involvement of certain Ministers and political leaders of the Congress party in the Government? I would like to have specific reply to my questions (a), (b) and (c).

SHRI P. C. SETHI: The Sarkar Committee was a high powered committee and it has gone into the entire aspect of these deals. As far as Mr. Swaran Singh and Mr. C. Subramaniam are concerned, the Sarkar Committee has completely exonerated them. As far as Shri Bhoothalingam is concerned the Sarkar Committee found him responsible for certain release of bank guarantees in driblets. But, Sir, this officer has retired; and according to the constitutional provisions as mentioned in CSR 351 A and Article 314, it is not possible to take any action against him.

SHRI UMANATH: My specific question has not been answered. I wanted to know about 'reliable sources.' I have quoted from the letter of Messrs Amin Chand Pyare Lal where they say that from reliable sources they understand about certain moves. I would like to know whether any investigation had been carried out to find out what those reliable sources were and whether Mr. Swaran Singh was the reliable source?

SHRI P. C. SETHI: I have already replied to the Question that the Sarkar Committee have gone into all the aspects.

SHRI UMANATH: My second question, on the question of investigation of the reliable source, he has not answered.

MR. SPEAKER: He has answered it. That is all.

SHRI UMANATH: If he says, yes or no, I have no objection, I can understand it. But my question has not been answered. I asked whether any investigation was undertaken to determine who these 'reliable sources' were as stated by Mesars Amin Chand Pyare Lal.

SHRI P. C. SETHI: The Sarkar Committee has gone into all the aspects. I have already replied to it. Beyond this, it is not possible to say.

श्री रवि राय: इस सदन में कई बार मंत्री महोदय ने कहा है कि श्रीमं चन्द प्यारे लाल ने इम्पोर्ट पालिसी में जो नियम दिये हैं, उनका उलंघन किया है, इसलिये उनको ब्लैक-लिस्ट किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब क्या स्थिति है, क्या उनको फिर कोई लाइसेन्स दिये गये हैं? दूसरे—सरकार कमेटी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री प्र० चं० सेठी: जैसा मैंने पहले कहा है कि 7-5-1966 को उनकी जिन कम्पनियों को बैन किया गया था, वे अभी तक बैन हैं। जहाँ तक एक्सचेंज वायोलेशन का ताल्लुक है—इस मामले को रिजर्व बैंक को सौंपा गया था और उन्होंने सी० बी० आई० को रेफर किया है जो प्रागे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।

श्री रवि राय: सरकार कमेटी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री प्र० चं० सेठी: इसके बारे में रिजर्व बैंक को रेफर करने के अलावा और कोई खास सिफारिश नहीं है।

रेलवे उपकरणों की चोरी

+

* 783. श्री प्रकाशवीर शास्त्री:

श्री शिबकुमार शास्त्री:
क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि:

(क) रेल गाड़ियों में रेलवे उपकरणों की चोरियों को रोकने के बारे में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या यह सच है कि चोरियाँ विशेषतया अन्तिम (टर्मिनल) स्टेशनों पर की जा रही हैं; और

(ग) क्या सरकार को मुगल सराय स्टेशन पर बड़ी संख्या में मालगाड़ी तथा यात्री गाड़ियों में होने वाली चोरियों को रोकने में सफलता मिली है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI PARIMAL GHOSH): (a) Every effort is being made in this respect, as a result of which there has been some improvement in the position.

(b) The losses occur both at terminal stations and on running trains.

(c) Yes, Sir.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या इस बात की जानकारी ली है कि किन-किन क्षेत्रों में विशेष रूप से रेलवे के सामान की चोरियाँ हो रही हैं, और क्या उसमें कुछ विभागीय कर्मचारी भी सम्मिलित पाये गये हैं? यदि हाँ, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों के प्राप के पास कुछ इस प्रकार के घांफड़े यदि न हों तो एक वर्ष के ही घांफड़े बीजिये कि कितने रेलवे के सामान की चोरी हुई, कुल मिलाकर कितना सामान चोरी गया?

SHRI PARIMAL GHOSH: Most of these thefts are taking place at interchange points and also at the terminal stations. These things are very much pronounced in the Eastern Railway as well as in the North-Eastern Railway. It is also a fact that a large number of railway staff and RPF men are also involved. In 1966, the total, in the case of dynamo belts worked out to 17,261 and in 1967 it was about 15,914; in the case of electric bulbs it was 89,520 and 126,527 respectively.